संचिका संख्या–12/प.–विविध–08–40/2014– 466 (12)

26.06.2015

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों में अप्रशिक्षित एवं कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के संयुक्त तत्वाधान में "जन स्वास्थ्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम" (एक वर्षीय) के तहत प्रशिक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा एक जनोपयोगी कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन के निमित राज्य परामर्श दातृ समिति का गठन निम्नरूपेण किया जाता है:–

क्रम सं0	नाम	पत्राचार का पता	
1	डा0 एल0बी0सिंह	A-122, रजनीगंधा अपार्टमेन्ट, सदाकत आश्रम, पटना–800010	अध्यक्ष
2	स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत अपर/संयुक्त निदेशक		उपाध्यक्ष
3	स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत उपनिदेशक		सदस्य
4	स्वास्थ्य विभाग द्वारा मनोनीत एक सिविल सर्जन		सदस्य
5	डा0 विजय शंकर सिंह, आई0एम0ए0	हड्डी रोग विशेषज्ञ 0/85, डा0 कॉलोनी, कंकड़बाग, पटना–800020	सदस्य
6	डा0 सहजानन्द सिंह, आई0एम0ए0	सहज सर्जरी, तिलक नगर, पटना–20	सदस्य
7	डा0 राजीव रंजन, आई0एम0ए0	सी–2, केशव देवकीधाम अपार्टमेन्ट, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना–1	सदस्य

8	श्री निवास सिंह,	अध्यक्ष, ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति, ग्राम–विशेषपुर, पो0 लाउथ, जिला–सुपौल	सदस्य
9	डा0 तनवीर कँवर	22/01, न्यू पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–800013	सदस्य

2. उक्त समिति द्वारा उपर्युक्त प्रशिक्षण कार्य हेतु योजना बनायी जायेगी और स्वास्थ्य विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन में मदद मिल सके। साथ ही यह समिति इस प्रशिक्षण कार्य को सफलतता पूर्वक संचालन हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर अपना सुझाव दे सकेगी।

3 प्रस्ताव में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

26/6

(शंकर प्रसाद)

विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक– 466 (12) पटना, दिनांक– 26.06.2015

प्रतिलिपि–1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि आगामी असाधारण अंक में उक्त अधिसूचना को प्रकाशित कर इसकी 1000 प्रति स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे ।

2. राज्य परामर्श दातृ समिति के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4. संयुक्त निदेशक (शैक्षिक) एवं क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ललित भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800001 को उनसे प्राप्त

पत्रांक–NIOS/RC/PAT/353 A दिनांक–02.06.2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

5. प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

6. सभी सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

7. राज्य के सभी 38 जिलों में कार्यरत 149 FRU(First Referal Unit)/ 533(PHC) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8. प्रभारी पदाधिकारी, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9. सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10. सभी ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति/सभी स्वास्थ्य प्रबंधक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

10. आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को सभी संबंधितों के वेबसाईट पर डालना सुनिश्चित करेंगे ।

26/6

(शंकर प्रसाद)
विशेष कार्य पदाधिकारी।